न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात ।

URN-180002517-2012

मु०नं०-2517/2012

बिटान बनाम भानू प्रताप ।

धारा 323,323,504,506 भा०द०सं०

थाना-घाटमपुर, कानपुर देहात ।

07-01-2020

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी । परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्त जगरूप , रूप नारायण उपस्थित शेष अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रस्तुत ।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी आर पी सी नियत है ।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी आर पी सी दिनांकित 12-11 2017 व 06-01-2018 प्रस्तुत किया गया है तथा उसकी ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थिनी वादी मुकदमा है उसने दिनांक 08-02-2011 को डॉक्टर को बतौर साक्षी तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था । जिस प्रार्थी के द्वारा दिनांक 11-08-2011 को जरिये टेण्डर रू०,1000/- डॉक्टर साहब को व्यय/गवाही के आने के लिए T.A.D.A. जमा कर दिया था । डॉ० एस.सी.श्रीवास्तव बतौर साक्षी न्यायालय द्वारा परीक्षित नहीं कराये गये । न्यायालय द्वारा दिनांक 18-07-2017 को प्रार्थी का साक्ष्य समाप्त कर पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० नियत कर दी गयी । जब कि डॉ० एस.सी.श्रीवास्तव को परीक्षित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः आदेश दिनांकित 18-07-2017 को रिकाल कर न्यायहित में साक्ष्य प्रदान करने का आदेश पारित किया जाए । अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति दिनांक 12-12-2017 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि कमल किशोर ने जो प्रार्थना पत्र दिया है । वह गलत तथ्यों पर दिया गया है दिनांक 18-07-2017 को साक्ष्य परिवादी समाप्त कर दिया गया है । इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं जा सकती यदि आवेदक चाहे तो आदेश के विरूद्ध रिवीजन दाखिल करे । प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को दिनांक 03-04-2006 को अन्तर्गत धारा 323,323,504,506 भा०द०सं० में तलब किया गया । परिवादिनी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया । तदोपरान्त दिनांक 18-07-2017 को उसका साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया । परिवादिनी को साक्ष्य

प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है । अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । तदनुसार प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० हेतु दिनांक 03-03-2020 को पेश हो ।

दिनांक 07-01-2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर कानपुर देहात ।

J.O.Code-2304